

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी



E.Mail. eepduki.pwduk@gov.in

Fax No-01374-222108

Tel.No- 01374-222108

पत्रांक के प्रप्रां मेमो

दिनांक 0 /10/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,

उत्तरकाशी।

विषय :--

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा—धनारी—सेम—मुखेम मोटर मार्ग का पटूड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (लम्बाई 10.00 किमी0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय,

भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 26-09-2019) का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण/प्रत्युत्तर
1	2	3
1	Employment generation detail has not been filled at para E in Form A, Part-I. Please filled it.	ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
2	Some other documents has been filled in the place of juctification at section D- (i). Please upload Justification with authenticated by DFO in Form A, part I.	ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	User agency may upload documenta related to all benefited village with benefited population in Form A, Part I.	इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र Additional Information के क्र0सं0 22 पर अपलोड कर दिया गया है।
4	Administrative approval documents has not been uploaded as additional information in Form A, part I.	स्वीकृति का शासनादेश Additional Information के क्र0सं0 21 पर अपलोड कर दिया गया है।
5	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
6	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Additional Information के क्र0सं0 23 पर अपलोड कर दिया गया है।
7	User agency may upload/provide persent status of the villages to be benefited in the uploaded KMLfile in Form A, Part I.	इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र Additional Information के क्र0सं0 22 पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

> अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।

भवदीय